सिक्किम विश्वविद्यालय

दिनांक 22 नवंबर 2018 को सिक्किम विश्वविद्यालय, यांगयांग, साउथ सिक्किम में आयोजित वित्त समिति की 20वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थित सदस्य :

1. प्रो. अविनाश खरे, कुलपति	अध्यक्ष	
2. डॉ. डी.आर. अगरवाल [कोर्ट के प्रत्याशी]	सदस्य	
3. प्रो. पी. टंडन [ईसी के प्रत्याशी]	सदस्य	
4. प्रो. डी.पी. सरकार [ईसी के प्रत्याशी]	सदस्य	
5. प्रो. एन.के.पासवान [ईसी के प्रत्याशी]	सदस्य	
6. श्रीमती दर्शना एम. डबराल [विजिटर द्वारा नामित] (आईएफ़डी),	सदस्य,	श्री फजल मदमूद, उप सचिव एमएचआरडी द्वारा प्रतिनिधित्व
7. डॉ. जितेंद्र के. त्रिपाठी [विजिटर द्वारा नामित]	सदस्य	
8. प्रो. जे.पी. तामांग	विशेष आमंत्रित	
9. श्री टी.के.कौल [कुलसचिव]	विशेष आमंत्रित	
10. श्री देवाशीष पाल [वित्त अधिकारी]		सचिव

श्री सी.बी. छेत्री, आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी और श्री मंजिल दर्नाल, जेई (सिविल) समिति को सहायता देने के लिए उपस्थित थे।

बैठक के लिए कोरम पूरा हो चुका था। अध्यक्ष ने बैठक शुरू करने की घोषणा की। अध्यक्ष ने एमएचआरडी, यूजीसी और कार्यकारिणी परिषद द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को खडा पहनाकर स्वागत किया। प्रो. जे.पी. तामांग ने खडा पहनाकर कुलपति को इस समिति की उनकी प्रथम बैठक के रूप में उन्हें स्वागत किया।

समिति ने इस समिति के सदस्य के रूप में विश्वविद्यालय में उनके मूल्यवान योगदान हेतु निवर्तमान सदस्य जैसे प्रो. अशोक के. दत्ता, पूर्व निदेशक, आईआईएम शिलांग और पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य, प्रो. चेतन सिंह, पूर्व निदेशक, आईआईएएस शिमला और श्री एम.जी.किरण, पूर्व प्रधान सचिव, वित्त, राजस्व और व्यय विभाग, सिक्किम सरकार की सराहना की।

बैठक शुरू होने से पहले अध्यक्ष ने स्थायी परिसर नहीं होने पर हो रही समस्याओं के बारे में सदस्यों को अगगत कराएं :

1. शैक्षणिक और प्रशासनिक विभागों, हॉस्टल और अतिथि गृह के लिए 11 कि.मी. तक व्याप्त 41 किराये के भवन
2. उपर्युक्त बहवानों के लिए किराए पर हुए वार्षिक व्यय लगभग रु. 7.00 करोड़ हैं।
3. इधर-उधर फैले भवनों और छात्रावासों के कारण परिवहन समस्या और एक विभाग से दूसरे विभाग में आने-जाने पर अधिक समय लगना
4. गंगटोक से 56 कि.मी. की दूरी के कारण नए परिसर तक पहुंचाना कठिन है और सड़क कि स्थिति भी इस समय अच्छी नहीं है।

5. संसाधन के आदान-प्रदान की समस्या और अत्यधिक बारिश, ऊंचाई अंतर के कारण निर्माण के लिए प्रतिकूल मौसम की स्थिति आदि के कारण पर्वतीय क्षेत्र में परिसर निर्माण का लागत भी मैदानी क्षेत्र से लगभग दुगुना होता है।
6. उपायुक्त हाउसिंग, परिवहन सुविधा आदि के अभाव के कारण गुणात्मक संकायों को रखने की चुनौतियाँ।

समति ने इसके बाद एक के बाद एक एजेंडा मद पर चर्चा शुरू की।

खंड -1
कार्यवृत्त की संपुष्टि और कार्रवाई रिपोर्ट

एफ़सी 20.1.1: दिनांक 15 जून 2018 को आयोजित वित्त समिति की 19वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 15 जून 2018 को आयोजित वित्त समिति कि 19वीं समिति के कार्यवृत्त को दिनांक 26 जून 2018 को सभी सदस्यों को भेजे गए था। समिति के किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक 15 जून 2018 को आयोजित वित्त समिति की 19वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई है।

एफ़सी 20.1.2: दिनांक 15 जून 2018 को आयोजित वित्त समिति कि 19वीं समिति के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट

सचिव ने दिनांक 15 जून 2018 को आयोजित वित्त समिति कि 19वीं समिति के कार्यवृत्त पर ली गयी कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने विश्वविद्यालय द्वारा ली गयी कार्रवाई को नोट किया। उपस्थित सदस्यों ने दिनांक 30 अगस्त 2018 को आयोजित बैठक के लिए विश्वविद्यालय द्वारा ली गयी कार्रवाई की रेकॉर्ड अलग से करने की सलाह दी।

खंड -2
सूचनात्मक विषय

एफ़सी 20.2.1: दिनांक 30 सितंबर 2018 के अनुसार अनुदानों की उपयोगिता

समिति ने दिनांक 30 सितंबर 2018 के अनुसार अनुदानों की उपयोगिता की प्रगति को नोट किया।

एफ़सी 20.2.2: 30 अक्टूबर 2018 के अनुसार यूजीसी के निर्धारित प्रारूप में भवन परियोजना के लिए बारहवीं योजना व्यय

सचिव ने समिति के समक्ष चल रहे परिसर निर्मनन कार्य (चरण-1 के पैकेज-1), जिसे कुल रु. 106.45 करोड़ के लिए मेसर्स एनसीसी लिमिटेड को दिया गया, के लिए दिनांक 30 अक्टूबर 2018 तक वित्तीय और भौतिक प्रगति के विवरण प्रस्तुत किया। सचिव ने निर्माण कार्य के लिए यूजीसी बारहवीं योजना आवंटन की स्थिति तथा आवंटन में से रु. 60.22 करोड़ राशि की रिहाई नहीं करने के बारे में भी सूचित किया। एमएचआरडी से उपस्थित सदस्य ने एमएचआरडी की सिफ़ार्सिश के बाद वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन हेतु सम्पूर्ण परिसर के लिए यथाशीघ्र एक विस्तृत रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का सुझाव दिया।

एफ़सी 20.2.3: नियंत्रक तथा महालेखा निरीक्षण के शेष ऑडिट पैरा पर रिपोर्ट

समिति ने वित्तीय वर्ष 2016-17 तक नियंत्रक तथा महालेखा निरीक्षण के शेष ऑडिट पैरा पर रिपोर्ट को नोट की।

खंड -3

विचारार्थ और अनुमोदनार्थ विषय

एफ़सी 20.3.1: परिसर निर्माण के लिए उच्चतर शिक्षा निधि एजेंसी (एचईएफ़ए) के अंतर्गत निधि के लिए प्रस्ताव

इस एजेंडा विषय पर सदस्यों ने गंभीर चर्चा की। एमएचआरडी से उपस्थित सदस्य ने एमएचआरडी की सिफ़ार्सिश के बाद वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन हेतु सम्पूर्ण परिसर के लिए यथाशीघ्र एक विस्तृत रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का सुझाव दिया। विश्वविद्यालय ने इस कार्य को चरणों में करेगा। निर्माण के प्रथम चरण के लिए निधि के लिए प्रस्ताव को अनुमोदित डीपीआर के अंदर एमएचआरडी को प्रस्तुत किया जाएगा।

सदस्यों ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण कार्य के लिए अन्य निधि स्रोतो से, जैसे डोनर से निधि की संभवना तलाश करेगा।

एफ़सी 20.3.2: वार्षिक लेखा 2017-18 और पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2017-18

समिति ने वार्षिक लेखा 2017-18 और पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2017-18 को अनुमोदित किया।

एफ़सी 20.3.3: वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पूंजीगत परिसंपत्ति-35 के लिए निधि

समिति ने चर्चा की और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पूंजीगत परिसंपत्ति मद (35) के तहत यूजीसी से आबंटन प्राप्त करने के शर्त पर रु. 9:00 करोड़ राशि के दावे को अनुमोदित किया। समिति ने सराहना की कि विश्वविद्यालय ने 100% ईएटी मोड्यूले अपनाया है।

एफ़सी 20.3.4: वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वेतन-36 और आवर्ती – 31 के लिए निधि

समिति ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए यूजीसी के आवंटन की शर्त पर वेतन-36 और आवर्ती – 31 के लिए अनुदान के दावे को अनुमोदित किया। साथ ही चूंकि आवर्ती -31 मद में किराये के भुगतान के लिए बृहत राशि के व्यय होने के कारण यूजीसी को आवर्ती-31 मद पर अतिरिक्त राशि रिलीज करने तथा आवर्ती मद में सामान्य वृद्धि के अतिरिक्त दिनांक 11 सितंबर 2018 को जारी यूजीसी पत्र सं एफ़. सं – 9-4/2018 (सीयू) द्वारा पीएफ़एमएस के नए दिशा-निर्देशों के लिए भी निवेदन किया गया।

एफ़सी 20.3.5: विश्वविद्यालय अनुमानित बजट 2019-20 को अंतिम रूप प्रदान

समिति ने यूजीसी द्वारा निधि के आवंटन के शर्त पर विश्वविद्यालय अनुमानित बजट 2019-20 के अनुसार अनुदान रिलीज करने हेतु यूजीसी को निवेदन किया।

एफ़सी 20.3.6: वर्ष 2017-18 के दौरान यूजीसी से वेतन और आवर्ती मद के लिए दिये गए अनुदानों पर अर्जित ब्याज का प्रेषण

समिति ने जीएफ़आर 2017 में उल्लेखित नियमों/विनियमों के अनुसार यूजीसी को ब्याज वापस करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

अध्यक्ष के धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

हस्ता./-
(प्रो. अविनाश खरे)
कुलपति एवं अध्यक्ष
वित्त समिति

हस्ता./-
(देवाशीष पाल)
वित्त अधिकारी एवं सचिव
वित्त समिति